

सरकार के निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रियतों) का नामान्तरण (दाखिल खारिज) दिखानेवाला शुद्धि पत्र

जिला पंजाब अनुमण्डल साह, भदवासा सर्किल/अंचल साह, भदवासा हल्का I इस्टेट का नाम SHARDA

क्र.सं.	पंजी. 27 में नामान्तरण का केस संख्या	गाँव	थाना और थाना संख्या	नामान्तरण से संबंधित अभिवृत्ति की संख्या	नामान्तरण मजूर करने वाला प्राधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है (बिक्री, दान, विनिमय उत्तराधिकारी या बटवारा हुआ है।)	नामान्तरण के प्रभावित विनिमय का पूरा ब्यौरा				कर्मचारी द्वारा कितने दिनों के लिए को भुक्त किया जा रहा है?	अभ्युक्ति
							खाला	फ्लोट	रकबा	माल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	<u>108</u> <u>2014-15-</u>	<u>बारागाँव</u>	<u>108</u>	<u>4883</u>	<u>अंचल अधिकारी साह</u>	<u>बिभी</u>	<u>103</u> <u>110</u> <u>0.66</u> <u>6.10</u>	<u>103</u> <u>110</u> <u>0.66</u> <u>6.10</u>	<u>103</u> <u>110</u> <u>0.66</u> <u>6.10</u>			



ज्ञाप सं० तारीख
 कर्मचारी हल्का सं० I को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।
 सर्किल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी
अधिकारी/अंचल

उपरोक्त भूमि श्री महि प्रभा देवी
 द्वारा/पति श्री रविन्द्र राणा
 ग्राम अहिराचोदवा थाना पठरू जिला पंजाब
 के नाम से नामान्तरण की स्वीकृती हो गई है। तपान बकाये की लिखित से देय होगा।
 हल्का कर्मचारी को आदेश दिया जा रहा है कि भाग पंजी-2 में संभावित कर अनुपालन प्रतिवेदन
 अगोदरसमापरी को दें।